न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 71/2018 दायरा दिनांक : 11.04.2018

उनवान

कौशल किशोर आयु 50 वर्ष पुत्र श्री मूलीलाल, जाति धाकड़, निवासी शाहपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर, बारां

2— अधिशाषी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड बारां, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री कमलदीप सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री तेजेन्द्र शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 25.01.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू आवंटन अधिनियम जिला कलेक्टर, बारां के प्रकरण संख्या — एफ—4(5)(72)राजस्व/17/6310—17 निर्णय दिनांक 13.09.2017 से व्यथित होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जमाबंदी ग्राम शाहपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां की सम्वत 2037–40 में राज खाता सरकार नाकाबिल काश्त नाला व तलाई में खसरा नम्बर 442 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा आराजी दर्ज हो रही है । इसके हाल सैटलमेंट खसरा नम्बर 610 रकबा 0.99 हेक्टर दर्ज है । इस आराजी में से जिला कलेक्टर, बारां ने खसरा नम्बर 610 रकबा 0. 09 हेक्टर आराजी तहसील मांगरोल में ग्राम शाहपुरा सोनवां पेयजल परियोजना को उच्च जलाशय निर्माण हेतु आवंटित कर दी है । मौके पर खसरा नम्बर 610 रकबा 0.78 हेक्टर में से मात्र 6 ऐयर जमीन छोड़कर समस्त रकबे में तलाई के रूप में पानी भरा हुआ है । अतः अपीलांट द्वारा उक्त आवंटन आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है, जो सर्वथा न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ, जयपुर में प्रतिपादित सिद्धांत अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार के निर्णय के विपरीत है । हल्का पटवारी द्वारा जिला कलेक्टर, बारां को सही तथ्यों से अवगत नहीं करवाया गया है । चूंकि वर्तमान में आवंटन आराजी की किस्म नहरी प्रथम है जबकि सैटलमेंट से पूर्व तलाई थी । अतः अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय के अनुसार तलाई को उसके मूल स्वरूप से नहीं हटाया जा सकता है और आवंटन भी नहीं किया जा सकता है । उपरोक्त तलाई को ग्रामीणजन काम में लेते हैं, मवेशी आदि पानी पीते हैं । अतः टंकी का निर्माण किसी भी प्रकार से सार्वजनिक हित में नहीं है । इस प्रकार उपरोक्त आवंटन खारिज होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी डेढ़ माह पूर्व पटवारी हल्का व रेस्पोडेंट क्रम 2 के कर्मचारियों द्वारा मौके पर जाकर नाप तोल करने पर हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं आवंटन को खारिज करने का निवेदन किया गया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि उपरोक्त आवंटन सार्वजनिक हित में है एवं वक्त आवंटन जमीन की किस्म नहरी प्रथम है । अतः किया गया आवंटन उचित है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । जमाबंदी सम्वत 2036–40 में खसरा नम्बर 442 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा खाता सरकार नाला एवं तलाई दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया गया, जिसमें खसरा नम्बर 610, 442 मिन रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 443 मिन रकबा 9 बिस्वा कुल 0.99 हेक्टर दो खसरों से बनना पाया गया । वर्तमान में खसरा नम्बर 610 राजस्थान सरकार सिवाय चक नहरी प्रथम दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में एक नक्शा भी सलंग्न है जिसमें खसरा नम्बर 610 के मध्य में खसरा नम्बर 609 भी है । पटवारी की मौका रिपोर्ट में उक्त आराजी को आवंटन हेतु उचित बताया गया है । पत्रावली के अध्ययन से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि सम्वत 2037–40 से पूर्व अर्थात् सम्वत 2012 से क्या उपरोक्त आराजी गैर मुमकिन तलाई थी । वर्तमान में उक्त आराजी क्या तलाई के रूप में काम आ रही है पूर्व खसरा नम्बर 442 का रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा था जो कि लगभग 0.75 हेक्टर के बराबर होता है लेकिन नये खसरा नम्बर 610 का रकबा 0.99 हेक्टर दर्ज है जो कि खसरा नम्बर 442 मिन एवं खसरा नम्बर 443 मिन से मिला कर बनाया गया है । अतः यह पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है कि क्या उपरोक्त

आराजी सम्वत 2012 से तलाई के रूप में दर्ज होने के पश्चात् सैटलमेंट के द्वारा किस्म परिवर्तन कर नहरी प्रथम किस प्रकार दर्ज की गई है । इसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किये गये हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.09.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उपरोक्त आवंटन जो कि सार्वजनिक हितार्थ किया गया है इसको तहसीलदार के द्वारा सम्वत 2012 से आजदिनांक तक के रेकार्ड से क्रमबद्ध जॉच करवाए एवं मौके व रिकार्ड अनुसार और यदि यह उचित पाये कि उपरोक्त आराजी गैर मुमकिन तलाई थी एवं अब्दुल रहमान बनाम सरकार में प्रतिपादित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत आवंटित हो गई है तथा इसका रेफरेंन्स बनना पाया जाता है तो रेफरेन्स बना कर पेश करवाये तथा उपरोक्त आवंटन को खारिज कर विभाग की आवश्यकतानुसार अन्य स्थान पर भूमि आवंटन किया जाना सुनिश्चित करें । अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश यथावत रहे । उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट निर्णित की जाती है तथा जिला कलेक्टर, बारां को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि दी जावे ।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा